

परिशिष्ट सारणी 23: केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संवितरण का मापदंड

(प्रतिशत)

आयोग	आयकर में राज्यों का हिस्सा	वितरण के लिए मापदंड भार								
		प्रति व्यक्ति आय से दूरी	जनसंख्या	प्रतिलोम आय	पिछड़ापन	योजनेतर राजस्व घाटा	समायोजित क्षेत्र	बुनियादी ढांचे	कर प्रयास	अन्य
पहला वित्त आयोग	40.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
दूसरा वित्त आयोग	25.0	-	90.0	-	-	-	10.0	-	-	-
तीसरा वित्त आयोग	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चौथा वित्त आयोग	20.0	-	80.0	-	20.0	-	-	-	-	-
पांचवां वित्त आयोग	20.0	-	80.0	-	20.0	-	-	-	-	-
छठा वित्त आयोग	20.0	25	75.0	-	-	-	-	-	-	-
सातवां वित्त आयोग	40.0	-	25.0	25.0	25.0	-	-	-	-	25.0
आठवां वित्त आयोग	45*	50.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-
नौवां वित्त आयोग	45.0	33.5	25.0	12.5	12.5	16.5	-	-	-	-
दसवां वित्त आयोग	47.5**	60.0	20.0	-	-	-	5.0	5.0	10.0	-
ग्यारहवां वित्त आयोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बारहवां वित्त आयोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तेरहवां वित्त आयोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'-': शून्य

* : निवल आय का 40 प्रतिशत वितरित किया जाएगा जबकि शेष 5 प्रतिशत योजनेतर राजस्व घाटा राज्यों के लिए रखा है।

** : निवल आय का 40 प्रतिशत वितरित किया जाएगा जबकि शेष 7.5 प्रतिशत योजनेतर राजस्व घाटा राज्यों के लिए रखा है।

स्रोत : विभिन्न वित्त आयोगों की रिपोर्ट।